

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 62/2019

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

न्याति मालियान संस्था, कुचेरा जरिये
सदस्य/प्रतिनिधि तेजाराम पुत्र
शंकरलाल सांखला जाति माली
निवासी कुचेरा तहसील मुण्डवा।

1रामेश्वरी पुत्री रामदेव 2बिदामी पुत्री रामदेव 3पतासी पुत्री
रामदेव
4नेनी पुत्री रामदेव 5सोहनलाल पुत्र रामदेव 6संतोष पुत्री
रामदेव
7सीताराम पुत्र रामदेव
जातियान माली निवासीगण कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला
नागौर।
8तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति :-

1. श्री संदीप जैन अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री भगवान राम सारस्वत रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पूनिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.01.2021

{1}-अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर (हाल मुण्डवा) द्वारा मौजा कुचेरा के नामान्तरकरण सं. 5500 तथा 5501 दिनांक 24.05.16 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.08.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 20.08.2019 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में मौजा कुचेरा के नामान्तरकरण सं. 5500 तथा 5501 दिनांक 24.05.16 की फोटोप्रति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र की फोटोप्रति एवं बेचान दस्तावेज दिनांक 02.03.60 व दिनांक 05.10.84 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}-रेस्पोडेन्ट सं. सं 5 की ओर से श्री भगवान राम सारस्वत अधिवक्ता उपस्थित हुए, रेस्पोडेन्ट सं. 8 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3, 4 व 6 के सम्मन तारीख पेशी दिनांक 23.12.19 के अखबार में प्रकाशन करवाये गये, जिसकी अवधि 30 दिन से अधिक हो जाने के कारण उनकी तामील पर्याप्त मानी गयी तथा रेस्पोडेन्ट सं. 7 का तारीख पेशी 9.10.19 का सम्मन रजि. ए.डी. के जारी किया गया, जिसकी अवधि 30 दिन से अधिक हो जाने के कारण उनकी तामील पर्याप्त मानी गई, जो बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 10.1.20 को एक प्रार्थना पत्र आराजी भूमि को लेकर नियमित न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से म्यूटेशन अपील खारिज करने/वाद के निर्णय तक म्यूटेशन अपील की कार्यवाही स्थगन किये जाने को लेकर प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 27.01.20 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर विवेचन / विश्लेषण एवं निष्कर्ष मूल अपील के निर्णय के साथ ही किया जा रहा है।

{3}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिन्दु पर बताया गया कि अपीलांट की जाति माली है और ग्राम कस्बा कुचेरा का मूल निवासी है। माली समाज कुचेरा का प्रत्येक व्यक्ति माली न्याति संस्थान कुचेरा का सदस्य है और इस न्याति समाज के हितो में उसका हित है। अतः इस सामुदायिक हित धारक संस्था का अपीलांट भी एक सदस्य है और प्रतिनिधि है। दिनांक 3.7.19 को अपीलांट की माता का स्वर्गवास हुआ था। अपीलांट की माता के स्वर्गवास पर आयोजित क्रियाक्रमों के तहत दिनांक 30.7.19 को एक कार्यक्रम में अपीलांट के घर पर समाज के कई प्रबुद्ध व्यक्ति शामिल हुए थे। इन व्यक्तियों द्वारा की गयी चर्चा से अपीलांट को मालूम हुआ कि माली न्याति संस्थान, कुचेरा की खरीदसुदा, हक अधिकार व स्वामित्व की भूमि में विधि व नियम विरुद्ध तरीके से संबंधित पंच के नाम रिकार्ड में दर्ज करवा लिये हैं और पंच के मरने के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज करवा लिये गये हैं और ये लोग न्याति संस्थान की भूमि को व्यक्तिगत हित में खुर्द बुर्द करने पर भी आमदा है। अतः समाज के व्यक्तियों से चर्चा से सुनी बातों

Page 1 of 10


अपर कलक्टर, नागौर

की जांच करने हेतु दिनांक 31.7.19 को तहसील कार्यालय मुण्डवा से रिकार्ड का अवलोकन किया जो जांच करने से प्रकट हुआ कि जमाबंदी में निराधार रूप से "न्याति संस्थान" की भूमि में पंच के वारिसान के नाम दर्ज है। इस प्रकार जमाबंदी की जांच से यह प्रकट हुआ कि रिकार्ड में दर्ज नाम बिना किसी प्राधिकार के दर्ज है। जो एक गलत इन्द्राज है और गलत इन्द्राजो को रिकार्ड पर नहीं रखा जा सकता। अतएव अपीलांट ने ऐसे गलत अंकन को सही कराने हेतु सभी नामान्तरकरणों की नकले लेने हेतु कार्यवाही करवायी गयी। जिस पर नामान्तरकरण सं. 5500 व 5501 की प्रतिलिपि तहसीलदार मुण्डवा से दिनांक 31.7.19 को प्राप्त हुई। जबकि नामान्तरकरण सं. 1783, 2050, 2051 मौजा कुचेरा की प्रमाणित नकल दिनांक 14.8.19 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलांट को इस प्रकरण में रिकार्ड में नामान्तरकरण पर पारित आदेश के फलस्वरूप गलत इन्द्राज होने की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 31.07.19 को रिकार्ड अवलोकन करने एवं नकल प्राप्त करने हुई। तत्पश्चात अन्य दस्तावेजात दिनांक 14.08.19 को अपील तैयार करवायी जाकर अपील पेश की। जिसे तारीख जानकारी से अंदर मियाद शुमार किया जाना न्याय संगत है। जबकि रेस्पोजेन्ट के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलांट को म्यूटेशन जैर अपील की शुरु से ही जानकारी थी। केवल मात्र न्यायालय को भ्रमित करने हेतु गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन किया गया है। उक्त विवादित भूमि के संबंध में राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर में वाद सं. 17/18 समस्त माली (सैनी) समाज संस्थान कुचेरा जरिये पुखराज टाक व अन्य बनाम लिखमाराम व अन्य दिनांक 24.5.18 से विचाराधीन है। उक्त वाद प्रस्तुत करते समय ही म्यूटेशन एवं रेकॉर्ड के संबंध में जानकारी हो गई थी। इसके बावजूद भी अपील को अंदर मियाद शुमार करने हेतु आवेदन गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। जो निरस्तनीय है। राजकीय वकील द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र का विरोध नहीं किया गया है। जिसके जवाब में वकील अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि न्याति माली संस्थान द्वारा यह अपील तेजाराम द्वारा प्रस्तुत की गई है। कथित वाद में तेजाराम कोई पक्षकार नहीं है। उन्हें इस बात की जानकारी होने का कथन काल्पनिक आधार पर किया जा रहा है। प्रत्यर्थी तहसीलदार का आदेश जैर अपील विधि के नियमों के अधीन प्रारंभ से ही शून्य प्रभावी है। ऐसे आदेश के संबंध में किसी भी समय आपत्ति उठाई जा सकती है तथा इस संबंध में कोई मियाद लागू नहीं होती है। अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि—

[3](1)—यह अपील न्याति मालियान संस्था, कुचेरा जरिये सदस्य/प्रतिनिधि प्रस्तुत की गई है। ग्राम कुचेरा में माली न्याति समाज के काफी तादाद में परिवार होने से माली समाज के सामूहिक हितों आदि के लिये समाज के मौजीज व्यक्तियों का संगठन/संस्था कदीम से बनी हुई है। जिसका संचालन समाज द्वारा नामित पंचों द्वारा किया जाता रहा है। माली समाज कुचेरा का प्रत्येक व्यक्ति इस न्याति समाज संस्था का सदस्य है और इस न्याति संस्थान के हितों में उसका भी हित निहित करता है। माली न्याति समाज कुचेरा, कुचेरा के माली समाज के आर्थिक एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान बाबत सामूहिक हितों में कार्य करने हेतु प्रयत्नशील है। समस्त माली समाज कुचेरा के आर्थिक एवं सामाजिक हितों के मध्य नजर माली न्याति संस्थान कुचेरा हाल खसरा नं. 2466 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं. 2469 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 2470 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं. 2468 रकबा 8 बिस्वा कुल 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि दिनांक 02.03.60 को खरीदी थी। जिसका विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय, नागौर में दिनांक 09.03.60 को क्रम सं. 104/60 पर पंजीबद्ध हुआ है। समस्त माली न्याति समाज संस्थान कुचेरा एक संस्था है। जिसका संचालन समाज द्वारा समय-समय पर नामित पंचों (प्रतिनिधियों) द्वारा किया जाता रहा है। वर्ष 1960 में समस्त माली न्याति संस्थान, कुचेरा कुल 10 पंच (प्रतिनिधि) थे। जो रामचंद्र पुत्र लालूराम माली निवासी कुचेरा, रामदेव पुत्र खुमाराम माली निवासी कुचेरा, टोवाराम पुत्र भूराराम, इन्द्राराम पुत्र हीराराम, रामदेव पुत्र पूनाराम, चूनाराम पुत्र गणेशाराम, रामलाल पुत्र मूलाराम, गोरधन पुत्र पांचाराम, मोवनाराम पुत्र छोटू व रामदेव पुत्र जगजी कौम माली निवासीगण कुचेरा थे। वर्तमान में उक्त सभी दस पंचों (प्रतिनिधियों) की मृत्यु हो गई है तथा रेस्पोजेन्ट्स इनके विधिक वारिस हैं। उक्त सभी दसों व्यक्ति समाज के नामित प्रतिनिधि होने से समाज की ओर से खातेदारों से खरीदी भूमि पर हुए सौदे की एवज में निष्पादित बेचान पत्र पर क्रेता समस्त माली न्याति समाज संस्थान की ओर से हस्ताक्षर किये थे। विक्रेताओं से माली न्याति संस्थान, कुचेरा की ओर से कब्जा प्राप्त किया था और माली न्याति संस्थान

कुचेरा के कोष से इस खरीद की गई भूमि के प्रतिफल रू. 8500/- का भुगतान भी विक्रेताओं को किया गया था। इस बेचान पत्र दिनांक 02.03.60 में विक्रेताओं ने स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि "कब्जा न्यात की तरफ से आप पंचान व मुखियान न्यात मालियान कुचेरा को करा दिया है।" बेचान पत्र में आगे और यह अंकित है कि "न्यात की रकम निजोखमी है।"

[3](II)—समस्त माली न्याति संस्थान, कुचेरा दिनांक 05.10.84 को पुनः मौजा कुचेरा के खसरा नं. 2465 रकबा 15 बिस्वा भूमि प्रतिफल रू. 2000/- में खरीदी और इसका बेचान पत्र दिनांक 05.10.84 को ही उप पंजीयक कार्यालय, नागौर में क्रम सं. 1411 पर पंजीबद्ध करवाया। वर्ष 1984 में माली न्याति संस्थान, कुचेरा के पंच (प्रतिनिधि) समाज द्वारा नामित थे। जो इस प्रकार रहे, टोवाराम पुत्र भूराराम, रामदेव पुत्र पूनाराम, गोरधनराम पुत्र पांचाराम, रामदेव पुत्र जगाराम कौम तमाम माली निवासीगण कुचेरा। इस प्रकार वर्ष 1984 में माली न्याति संस्थान, कुचेरा के चार नामित पंच थे। वर्तमान में चारों ही जीवित नहीं हैं। रेस्पोंडेन्ट्स सं. 1 से 6 पंच श्री रामदेव पुत्र पूनाराम के वारिस हैं। उक्त चारों ही पंचों ने समाज के नामित प्रतिनिधि होने से समाज की ओर से विक्रेता से भूमि खरीदी। खरीद की गयी भूमि के सौदे की एवज में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 05.10.84 पर क्रेता समस्त माली न्याति संस्थान कुचेरा की ओर से हस्ताक्षर किये थे। इन प्रतिनिधियों ने न्याति संस्थान की ओर से कब्जा प्राप्त किया और न्याति संस्थान के कोष से विक्रेता को प्रतिफल का भुगतान किया। बेचान पत्र दिनांक 05.10.84 में विक्रेता द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया है कि समय पर काशत नहीं कर सकने से यह जमीन मालियान के न्यात को विक्रय कर दिया है तथा पहले की जमीन जो दिनांक 09.03.60 को 6.01 बीघा विक्रय कर दी एवं उस वक्त रजिस्ट्री भी करवायी थी।

[3](III)—उपरोक्त विवरण के अनुसार मौजा कुचेरा के खसरा नं. 2466, 2469, 2470, 2468 एवं 2465 की भूमि का वास्तविक क्रेता न्याति मालियान संस्था कुचेरा है। यह एक संस्था होने से इसका संचालन समाज द्वारा नामित पंच/प्रतिनिधियों को है। मगर ऐसे पंच या प्रतिनिधि संस्था की ओर से खरीद की गयी भूमि की हकदार या खातेदार अभिधारी नहीं होते हैं। प्रत्युत रेस्पोंडेन्ट्स के पूर्वज इस संस्थान केवल पंच (प्रतिनिधि) थे और पंच या प्रतिनिधि को कोई हक या स्वत्व प्राप्त न हो सकने के कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, इस अधिनियम 1956 के तहत बने राजस्व भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 एवं राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व रिकार्ड (खतौनी व नामान्तरकरण) में ऐसा इन्द्राज नहीं किया जा सकता। विधि के उक्तानुसार सुस्थापित प्रावधानों के अधीन रहते राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलक्टरों को परिपत्र क्रमांक प-5(8)राज-6/97/6 दिनांक 09.06.09 जारी किया जो इस प्रकार है—

"विभाग के यह ध्यान में लाया गया है कि जमाबंदी लेखन के समय की जाने वाली प्रविष्टियां नियमानुसार नहीं की जा रही हैं। जमाबंदी में की जाने वाली प्रविष्टियों के संबंध में राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 114, 121 तथा राजस्थान भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 153 से 169 में व्यापक प्रावधान हैं जिसके अनुसार अभिद्युति धारक का नाम, पिता का नाम, जाति एवं निवास के साथ साथ अभिद्युति सह-धारक, सह-भागीदार, कब्जाधारी तथा बंधकदारों तथा उसमें काशतकार के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भूमि धारण के हित यदि कोई हो, का ही उल्लेख किया जाना चाहिये। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि यदि अभिद्युति धारक यदि कोई कम्पनी या संस्था है तो कम्पनी या संस्था के नाम के साथ-साथ जरिये निदेशक, जरिये मेनेजर आदि प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो भू-अभिलेख नियमों का उल्लंघन है। इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों से भविष्य में रिकार्ड संधारण में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में जमाबंदी के कॉलम सं. 6 में प्रविष्टि नियमानुसार की जावे तथा किसी प्रकार की अवांछित प्रविष्टि न की जावे। अब तक हो चुकी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को ठीक करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 399, 406, 416, 423 के अन्तर्गत व्यापक प्रावधान हैं। राजस्व रेकॉर्ड को आदिनांक एवं त्रुटिरहित संधारित करना राजस्व अधिकारियों का परम दायित्व है। अतः उपरोक्त प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राजस्व रिकार्ड को आदिनांक एवं त्रुटिरहित करने की कार्यवाही की जावे। परिपत्र की जानकारी आपके अधीनस्थ अधिकारियों को करायी जावे। पत्र की पावती से अवगत कराया जावे।"


अपर कलक्टर, नागौर

{3}(IV)—राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 131 में नामान्तरकरण का कार्य क्षेत्र यथा विहित है।

131 नामान्तरकरण के कार्यक्षेत्र की सीमा -

i- निम्न काश्तकार अपवादों के अलावा, किसी (खातेदारी/गैर खातेदारी, काश्तकार आदि) की हेसियत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

क- हित धारण करने वाले सभी पक्षकारों की सहमति से, या

ख- उन पर बाध्यकारी किसी डिक्री या आदेश के परिणामस्वरूप, या

ग- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के सारभूत प्रभावशाली प्रावधानों के अन्तर्गत साबित हुए या घटित हुई स्वीकृत तथ्यों के अनुसार।

ii- उत्तराधिकार के मामले में स्वामित्व के विषय में संक्षिप्त जांच करना आवश्यक है। जबकि यह दावा किया गया हो कि सम्पदा वसीयत के कारण प्राप्त हुई है, वहां उसे वंशक्रमानुसार उत्तराधिकार का मामला समझना चाहिये, और जांच में वसीयत की वैधता की जांच भी शामिल होगी।

{3}(V)—121(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 121 के उप बिन्दु-4 के अनुसार-

राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार या सहायक कलक्टर) या ऐसी ग्राम पंचायत जिन्हे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 135 के अधीन शक्तियां सुपुर्द की गयी हो, यथास्थिति प्रति-परत पर अपना आदेश लिखना चाहिये। उसे यह ध्यान रखना चाहिये कि नामान्तरकरण पत्र के इन्द्राज व तत्संबंधी उसके आदेश साफ और पढी जाने योग्य लिपि में लिखी गयी है। आदेश/ऑर्डर में हित रखने वाले पक्षधर (फरीकन), आया वे सभी उपस्थित थे या कोई अनुपस्थित रहा, गवाही लेने का दण्ड, या गवाही नहीं ली गयी, उसे उपस्थित होने का क्या अवसर प्रदान किया गया, उपस्थित पक्षकारों की पहचान किसने दी, उसे लिखने का स्थान, दिनांक सहित दर्शाये जाने चाहिये। भूमि के पृथक्कीकरण (किसी अन्य व्यक्ति को देना (एलानसन) का नामान्तरकरण में, आदेश में पक्षकार की जाति व उप-जाति का उल्लेख होना चाहिये। पक्षकारों और गवाहों के बयानों का विस्तृत ब्योरा अभिलिखित करना आवश्यक नहीं है, लेकिन आदेश में, संक्षेप में, उन व्यक्तियों का उल्लेख जिनके बयान राजस्व अधिकारी के लिये और गवाहों द्वारा बयान में बताये गये तथ्यों व आदेश के आधार पर उल्लेख करना चाहिये। अलावा ऐसे मामले की जब नामान्तरकरण आदेश पूरी जोत (खाते) के लिये हो और विवाद रहित उत्तराधिकार के मामलों के अलावा, राजस्व अधिकारी प्रभावित खेतों की सं. और उनका कुल क्षेत्रफल अपने स्वयं के हाथों से इन्द्राज करना चाहिये।

{3}(VI)—राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 121 में अधिकार अभिलेख (खतोनी/जमाबंदी) में दर्ज होने वाले विवरण का प्रावधान है जिसके अनुसार धारा 114 के खण्ड ख, द्वारा विहित भूमि की काश्त करने वाले या अन्यथा धारण करने वाले या अधिवास करने वाले व्यक्तियों का ही अंकन किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का कोई भी अंकन खतोनी/जमाबंदी में नहीं किया जा सकता है।

{3}(VII)—जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण मौजा कुचेरा पर पारित आदेश नियम, विधि एव राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के बिनाय पर गलतफहमी में दर्ज इन्द्राज है। जो निरस्तनीय है।

{3}(VIII)—विधिनुसार अधिकार अभिलेख में खातेदार काश्तकार के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का अंकन नहीं किया जा सकता। बेचान पत्र दिनांक 02.03.60 व दिनांक 05.10.84 में भूमि का क्रेता न्याति मालियान संस्थान कुचेरा है। इन विक्रय पत्रों में वर्णित अन्य व्यक्ति इस संस्था के प्रतिनिधि/पंच होने से केवल संविदा निष्पादन की गरज से इनके नाम दर्ज है। क्रेता न्याति मालियान संस्था कुचेरा होने से खातेदारी अधिकार विधिनुसार इस संस्था को ही है। इसलिये रिकार्ड में इस संस्था के अलावा अन्य व्यक्तियों या पंचों के नाम का अंकन विधि सम्मत नहीं है। अतएव नामान्तरकरण पर पारित आदेश से स्वीकृत पंच व बाद में उसके उत्तराधिकारीगण के नाम के इन्द्राज पूर्णतया गलत, त्रुटिपूर्ण एवं निराधार है। लिहाजा गलत है, त्रुटिपूर्ण व निराधार रूप से रिकार्ड में शामिल इन्द्राज को जरिये अपील निरस्त करावे।

{3}(IX)—भू राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार अधिकार अभिलेख के संधारण करने, इन इन्द्राजों में कोई परिवर्तन होने पर रिकार्ड को आदिनांक रखने हेतु नामान्तरकरण दर्ज, जांच व स्वीकृति के प्रावधान है। इन प्रावधानों के अनुसार जमाबंदी व नामान्तरकरण के खातेदार के नाम ही किया जाना है। हस्तगत प्रकरण

नामान्तरकरण पर पारित आदेश से रेस्पोजेन्ट तहसीलदार नागौर वर्तमान तहसीलदार मुण्डवा ने खातेदार "न्याति मालियान संस्थान" कुचेरा की बजाय उसके प्रतिनिधि/पंचो व मुखियान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। प्रत्यर्थी तहसीलदार का यह आदेश विधि के नियमों के प्रावधानों के अध्यक्षीन प्रारंभ से ही शून्य प्रभावी है, ऐसे आदेश के संबंध में किसी भी समय आपत्ति उठायी जा सकती है।

[3](X)—प्रश्नगत नामान्तरकरण में किये गये इन्द्राज विक्रय पत्र दिनांक 02.03.60 व 05.10.85 को निष्पादित विक्रय संविदा के अनुसार न कर प्रत्यर्थी तहसीलदार व उसके कर्मचारियों द्वारा मनमर्जी अनुसार उत्तरोत्तर गलत ढंग से स्वीकृत किये गये हैं। जिनका विधि अनुसार कोई आधार नहीं है। इसलिये मनमर्जी अनुसार किये गये इन्द्राज निरस्तनीय है।

[3](XI)—प्रश्नगत नामान्तरकरण में प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त एवं दखल न्याति मालियान संस्थान, कुचेरा का प्रारंभ से था व वर्तमान में है। अतः नामान्तरकरण तस्दीक से प्रत्यर्थी तहसीलदार को कब्जे संबंधी जांच करनी आज्ञापक थी। मगर रेस्पोजेन्ट तहसीलदार द्वारा ऐसी न तो जांच की गई। न ही कब्जे के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया। अतः विधि विरुद्ध तस्दीक नामान्तरकरण के इन्द्राज निरस्तनीय है।

[3](XII)—किसी खातेदारी की मृत्यु होने पर ही उसके विधिक वारिसान के नाम फौतगी नामान्तरकरण दर्ज होता है लेकिन किसी संस्था के सदस्य/पंच/प्रतिनिधि की मृत्यु होने पर उस सदस्य/पंच/प्रतिनिधि के वारिसान का विरासत का नामान्तरकरण भरे जाने का विधि में कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण भी हस्तगत नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

[4]—रेस्पोजेन्ट सं. 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि —

[4](I)—अपीलार्थी को ऐसी कोई अपील पेश करने का अधिकार नहीं है व न ही तेजाराम पुत्र शंकरलाल सांखला जाति माली निवासी कुचेरा किसी भी प्रकार से न्याति मालियान संस्था का प्रतिनिधि नहीं है व न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है व न ही न्याति मालियान संस्था कुचेरा कभी अस्तित्व में रहा व न ही ऐसी कोई संस्था या संगठन कभी किया गया व न ही उसका संचालन किसी प्रकार से समाज द्वारा किया जाता रहा। जब ऐसी कोई संस्था अस्तित्व में नहीं थी तो उसका माली समाज का प्रत्येक व्यक्ति सदस्य होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। न्याति मालियान संस्था के नाम की कोई संस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं रही व न ही समस्त माली समाज कुचेरा के आर्थिक व सामाजिक हितों के मध्य नजर माली न्याति संस्थान कुचेरा द्वारा हाल खसरा नं. 2466, 2469, 2479, 2468 कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि दिनांक 2.3.60 को खरीदी गई। समस्त माली न्याति समाज संस्थान कुचेरा नामक कोई संस्था कभी अस्तित्व में नहीं रही व न ही वर्ष 1960 में समस्त माली न्याति संस्थान कुचेरा के कुल दस पंच सर्व श्री रामचंद्र श्री रामदेव श्री टोवाराम, श्री इन्द्राराम, श्री रामदेव, श्री चूनाराम, श्री रामलाल, श्री गोरधन, श्री मोहनराम व श्री रामदेव नहीं थे व न ही उक्त व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार की कोई संस्था का गठन ही किया गया। रेस्पोजे. सं. 1 से 54 उनके वारिस अवश्य हैं। यह गलत है कि उक्त सभी दसों व्यक्तियों ने खातेदारों से खरीदी गई भूमि पर हुए सौदे की एवज में निष्पादित बेचान पत्र पर क्रेता समस्त माली न्याति समाज संस्थान की ओर से हस्ताक्षर किये हो व विक्रेताओं से माली न्याति संस्थान की ओर से कब्जा प्राप्त किया हो व माली न्याति संस्थान कुचेरा के कोष से इस खरीद की गई भूमि के प्रतिफल रू. 8500/- का भुगतान विक्रेताओं को किया गया हो। जब समस्त माली न्याति समाज संस्थान कुचेरा अस्तित्व में नहीं था तो उसका कोष होना व उसकी ओर से भूमि क्रय करना व कब्जा लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उक्त भूमि उक्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं के निजी व दसों व्यक्तियों के परिवार के सामूहिक उपयोग हेतु क्रय की गई व प्रतिफल का भुगतान भी उक्त दसों व्यक्तियों द्वारा ही किया गया। जिसमें समस्त माली न्याति संस्थान अथवा समस्त मालियान कुचेरा का किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं लिया गया व न ही इनकी ओर से कोई राशि का भुगतान किया गया। विक्रय पत्र में कब्जा न्यात की तरफ से आप पंचान व मुखियान न्यात मालियान कुचेरा को करा देने व न्यात की रकम निजोख्मी होने का कोई अंकन नहीं है।

[4](II)—यह गलत है कि समस्त माली न्याति संस्थान कुचेरा द्वारा दिनांक 05.10.84 को मौजा कुचेरा के खसरा नं. 2465 की भूमि प्रतिफल रू. 2000/- में खरीदी हो और उसका बेचान करवाया हो। वर्ष 1984 में माली न्याति संस्थान कुचेरा के पंच सर्व श्री टोवाराम, रामदेव, गोरधन व रामदेव नामित नहीं थे। जब किसी


अपर कलेक्टर, नागौर

प्रकार की कोई संस्थान अस्तित्व में नहीं थी तो पंच नामित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। रेस्पोंडेंट उनके विधिक वारिस अवश्य है। यह गलत है कि उक्त चारों ही पंचों ने समाज के नामित प्रतिनिधि होने से समाज की ओर से विक्रेता से भूमि खरीदी हो तथा खरीद की गई भूमि के सौदे की एवज में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 5.10.84 पर क्रेता समस्त माली न्याति संस्थान कुचेरा की ओर से हस्ताक्षर किये हो व न्याति संस्थान की ओर से कब्जा प्राप्त किया हो। ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किये गये हैं। उक्त भूमि उक्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं के सामूहिक उपयोग हेतु स्वयं की राशि से खरीद की है तथा स्वयं की हेसियत से ही कब्जा प्राप्त किया है। माली न्याति संस्थान कुचेरा नाम की संस्था कभी अस्तित्व में नहीं रही। अपील गलत आधारों पर बिना अधिकार के पेश की गई है।

{4}(III)—मौजा कुचेरा के खसरा नं. 2466, 2469, 2470, 2468 व 2465 की भूमि का वास्तविक क्रेता न्याति मालियान संस्था कुचेरा हो बल्कि न्याति मालियान संस्था कुचेरा के नाम की कोई संस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं रही। यह गलत है कि ऐसी कोई संस्था रही हो जिसका संचालन समाज द्वारा नामित पंच व प्रतिनिधियों को हो। रेस्पोंडेंट सं. 1 से 54 के पूर्वज कभी भी इस संस्थान के पंच व प्रतिनिधि नहीं थे। बल्कि उक्त भूमि उन्होंने स्वयं के उपयोग हेतु स्वयं की सामूहिक राशि से भूमि क्रय की है। इस कारण से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में जो नामान्तरकरण भरा गया। वह विधि अनुसार सही प्रकार से भरा गया है तथा जमाबंदी में जो प्रविष्टियां की गई हैं। वह सही प्रकार से की गई हैं तथा किसी भी परिपत्र का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है व न ही परिपत्र दिनांक 09.06.09 का कोई उल्लंघन किया है। उक्त परिपत्र प्रस्तुत प्रकरण में लागू भी नहीं होता है। क्योंकि उक्त नामान्तरकरण सन् 1985 में भरा गया। जबकि परिपत्र 2009 में जारी किया गया है।

{4}(IV)—राजस्थान भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 131 का जो उल्लेख किया गया है। वह नामान्तरकरण के संबंध में जांच से संबंधित है। जिसके संबंध में स्पष्ट रूप से जांच की गई है। साथ ही विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। इसलिये इस संबंध में नियम 131 के तहत पूर्ण जांच की जाना आवश्यक नहीं है। क्योंकि विक्रय पत्र में कब्जा सुपुर्द करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है तथा विक्रय पत्र में उल्लेखित कब्जा हस्तान्तरण की अवधारणा विधि अनुसार की जाती है। इसलिये बयान लेने इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है तथा जो इन्द्राज किया गया है। वह पूर्ण रूप से विधि अनुसार किया गया है तथा किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। इसलिये अपील संधार्य नहीं होने से निरस्तनीय है।

{4}(V)—राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 121 व 114 का जो उल्लेख किया गया है। वह प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अपीलान्ट जाति से माली अवश्य है। परंतु माली समाज कुचेरा का सदस्य होने से अपीलान्ट का किसी प्रकार का हित प्रस्तुत प्रकरण में निहित नहीं करता है तथा माली न्याति संस्थान कुचेरा का कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा इसलिये अपीलान्ट का हित निहित होना किसी भी प्रकार से नहीं माना जा सकता है तथा जो जानकारी का तथ्य अंकित किया है। वह भी गलत रूप से अंकित किया है। विवादित खेताय किसी भी प्रकार से माली न्याति संस्थान कुचेरा की खरीदसुदा हक अधिकार व स्वामित्व की भूमि नहीं है तथा शुरु से ही प्रत्यर्थीगण की कब्जासुदा स्वामित्व की सम्पत्ति रही है तथा उक्त भूमि के संबंध में तथाकथित समस्त माली (सैनी) समाज संस्थान कुचेरा के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 24.05.18 को ही सक्षम राजस्व न्यायालय में खातेदारी घोषणा व रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु वाद पेश कर दिया था तथा संपूर्ण जानकारी तत्समय ही हो गई थी। उससे पहले ही हो चुकी थी तथा अपीलान्ट को पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी शुरु से ही रही है। साथ ही उक्त संस्थान के अध्यक्ष पुखराज टाक व सचिव कृपाराम को होना बताया जा रहा है तथा अन्य कोई सदस्य है या नहीं इसका कोई उल्लेख संस्थान द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को ऐसी अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है व न ही अपील पेश करने का अधिकार है। अपील नामान्तरकरण के करीब 3 वर्ष बाद पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से अवधि बाहर पेश की गई है तथा अपीलान्ट को इस संबंध में शुरु से ही जानकारी रही है। साथ ही गलत रूप से अपील पेश की है।

{4}(VI)—नामान्तरकरण किसी भी प्रकार से नियम विधि तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के बिनाय पर गलत फहमी में दर्ज इन्द्राज नहीं है। बल्कि विधिवत रूप से एक वैध व प्रभावी विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। जो पूर्ण रूप से वैध है।

[4](VII)—यह सही नहीं है कि बेचान पत्र दिनांक 02.03.60 व 05.10.84 में भूमि का क्रेता न्याति मालियान संस्थान कुचेरा हो व विक्रय पत्रों में वर्णित अन्य व्यक्ति इस संस्था के प्रतिनिधि व पंच हो व केवल संविदा निष्पादन की गरज से इनके नाम दर्ज हो व क्रेता न्याति मालियान संस्था कुचेरा हो एवं खातेदारी अधिकार अधिकार विधि अनुसार इस संस्था का हो एवं संस्था के अलावा अन्य व्यक्तियों एवं पंचों के नाम अंकन विधि सम्मत नहीं हो व नामान्तरकरण में पंचों के नाम व बाद में उसके उत्तराधिकारियों के नाम के इन्द्राज पूर्णतया गलत त्रुटिपूर्ण व निराधार हो। बल्कि न्याति मालियान संस्था कुचेरा का कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा व न ही ऐसी कोई संस्था अस्तित्व में ही व न ही उक्त भूमि का क्रय न्याति मालियान संस्था कुचेरा द्वारा किया गया। बल्कि विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से क्रेतागण का नाम उल्लेखित है तथा संस्था का कहीं भी उल्लेख नहीं है तथा विक्रय पत्र के अनुसार ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया है तथा विक्रय पत्र आज दिन भी पूर्ण रूप से प्रभावी है। इसलिये जब तक विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनोती नहीं दी जाती है अथवा सक्षम न्यायालय से उक्त भूमि का क्रेता न्याति मालियान संस्था कुचेरा होना घोषित नहीं करवा लिया जाता है। तब तब ऐसे वैध विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण के संबंध में कार्यवाही करने का किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। इसलिये अपील गलत आधारों पर पेश की गई हैं जो निरस्तनीय हैं।

[4](VIII)—राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं अधिकार अभिलेखों को संघारण एवं नामान्तरकरण इत्यादि से संबंधित नियमों की प्रस्तुत प्रकरण में पूर्ण रूप से पालना की गई है तथा विक्रय पत्र में न्याति मालियान संस्थान कुचेरा का कोई उल्लेख नहीं है तथा क्रेतागण का ही नाम अंकित है। जिनके नाम से ही विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जो आदेश किसी भी प्रकार से विधि के नियमों के प्रावधानों के अध्यक्षीन प्रारंभ से ही शून्य एवं प्रभावी नहीं है बल्कि पूर्ण रूप से वैध विधि सम्मत व प्रभावी आदेश है। जिसके विरुद्ध कभी भी आपत्ति नहीं उठायी जा सकती है। बल्कि ऐसा आदेश एक वैध व विधि सम्मत आदेश है तथा वैध व प्रभावी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील पेश करने की मयाद ऐसे आदेश से 30 दिवस ही निर्धारित है तथा उसके पश्चात अपील पेश नहीं की जा सकती है तथा मयाद के संबंध में जो तथ्य उल्लेखित किये गये हैं। उनमें देरी का कारण उचित व न्याय संगत नहीं बताया गया है व न ही माकूल कारण बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर पेश की गई है। जो निरस्तनीय है।

[4](IX)—जो नामान्तरकरण में इन्द्राज किये गये हैं। वह विक्रय पत्र में दर्ज तथ्यों के आधार पर ही किये गये हैं तथा नामान्तरकरण उत्तराधिकार के आधार पर दर्ज किये गये व पूर्व नामान्तरकरण एक वैध एवं प्रभावी विक्रय पत्रों के आधार पर ही स्वीकृत किये गये हैं। जो विधि अनुसार किये गये हैं। इसलिये इस संबंध में जब तक वैध व प्रभावी विक्रय पत्र अस्तित्व में रहता है तब तक अपीलांत को अथवा किसी भी व्यक्ति को नामान्तरकरण को चुनोती देने का अधिकार नहीं रहता है। इसलिये भी अपील निरस्तनीय है।

[4](X)—यह गलत है कि प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त एवं दखल न्याति मालियान संस्था कुचेरा का हो तथा कब्जे के बाबत कोई जांच नहीं की गई हो। बल्कि उक्त प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त व दखल प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों क्रेतागण का रहता आया है। न्याति मालियान संस्थान कुचेरा कुचेरा जब अस्तित्व में ही नहीं है तो ऐसे किसी संस्थान का कब्जा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। विक्रय पत्र में कब्जा सुपुर्द करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में कब्जे के संबंध में विक्रय पत्र में उल्लेखित कब्जा सुपुर्द करने का तथ्य कब्जा होने की अवधारणा को साबित करता है। जिसके लिये पृथक से जांच की जाना आवश्यक नहीं है व न ही अपीलांत को ऐसा कोई कथन या आपत्ति करने का अधिकार ही है। अपील निराधार कथनों पर पेश की गई है। जो निरस्तनीय है।

[4](XI)—अपीलांत ने उक्त अपील बिना आधार के गलत रूप से पेश की है। न्याति मालियान संस्था कुचेरा नाम की कोई संस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं रही व न ही आज दिन किसी प्रकार से अस्तित्व में है। बल्कि सर्वप्रथम समस्त माली (सेनी) समाज संस्थान कुचेरा का गठन वर्ष 2016-17 में किया गया। जिसका पंजीयन भी करवाया गया है। जिसका तथाकथित अध्यक्ष पुखराज टाक व सचिव कृपाराम हैं तथा उनके द्वारा उक्त भूमि के संबंध में एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा रिकॉर्ड दुरुस्ती का व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के तहत एक वाद सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर के


अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय में राजस्व वाद सं. 17/2018 दिनांक 24.05.18 को पेश किया। जो वाद समस्त माली (सेनी) समाज कुचेरा बनाम लिखमाराम व अन्य के अनवान से विचाराधीन है। जिसमें किसी संस्थान अथवा प्रत्यर्थागण के हक अधिकार तय होने हैं। ऐसी स्थिति में जब सक्षम न्यायालय में भूमि के संबंध में राजस्व वाद विचाराधीन है तथा अपील में अभिलिखित कथनों के आधार पर ही उक्त वाद पेश किया है। जिसमें पक्षकारान के हक अधिकार तय होने हैं तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही जो कि एक फिस्कल प्रोसिडिंग है। जिसमें पक्षकारान के अधिकार तय नहीं किये जा सकते हैं तथा अपील भी वाद के पश्चात पेश की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील किसी भी प्रकार से संघारण योग्य नहीं है व निरस्तनीय है। इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश है—

(1) आरआरटी 2018 (2) पेज सं. 1057 गौरीशंकर बनाम राजस्थान सरकार में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु नियमित वाद पेश किया गया है तथा नियमित वाद पेश करने के बाद नामान्तरकरण के विरुद्ध निगरानी पेश की गई हैं जो वाद पेश करने के बाद निगरानी या अपील संघारण योग्य नहीं है। जो भी निर्णय होगा वह दावे में तय होगा।

(2) आरआरटी 2005 (1) पेज सं. 665 मुकुटचंद बनाम देवकीनंदन व अन्य में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित किया गया कि पक्षकारों के बीच नामान्तरकरण का विवाद नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही हैं जिसके आधार पर अधिकार या स्वत्व सर्जित नहीं होते हैं। स्वत्व की घोषणा हेतु नियमित वाद आवश्यक है। घोषणा हेतु वाद पेश किया गया है। इसलिये नियमित वाद के निस्तारण तक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जाना न्याय संगत है।

(3) आरआरडी 2019 पेज सं. 266 श्रीमती हस्तु माली व अन्य बनाम श्रीमती मांगी बाई व अन्य में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा उपरोक्त तथ्य ही निर्धारित किया गया है।

(4) आरआरडी 2018 पेज सं. 124 सागरमार व अन्य बनाम मुन्नीदेवी व अन्य राजस्व मंडल अजमेर।

(5) आरआरटी 2019 पेज 648 पेमादेवी बनाम जालूराम व अन्य राजस्व मंडल अजमेर।

[4](XII)—अपीलांट ने उक्त अपील नामान्तरकरण आदेश के करीब 3 वर्ष बाद उक्त अपील पेश की है तथा देरी का कोई माकूल कारण नहीं बताया गया है तथा इतनी लंबी अवधि के पश्चात नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है व न ही प्रकरण को पुनः निर्णीत करने हेतु प्रति प्रेषित किया जा सकता है। क्योंकि इतने लंबे समय पश्चात किसी प्रकार की जांच की जाना संभव नहीं है तथा रजि. विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। जिनकी जांच नहीं की जा सकती है व न ही निरस्त किया जा सकता है। साथ ही जब तक पंजीकृत विक्रय विलेख को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनोती नहीं दी गई है व न ही न्यायि मालियान संस्थान कुचेरा द्वारा भूमि क्रय की गई है। इसकी घोषणा सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा नहीं करवायी जाती है। तब तक ऐसी अपील पेश करने का अथवा विक्रय पत्र को निरस्त घोषित करवाये बिना उक्त तथ्यों को नामान्तरकरण अपील में न तो चुनोती दी जा सकती है व न ही ऐसा तथ्य नामान्तरकरण की कार्यवाही में निर्णीत किया जा सकता है। इसलिये अपील इसी आधार पर निरस्तनीय है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत है—

(1) आरआरडी 2018 (2) पेज सं. 1552 हरदेवराम बनाम ग्राम पंचायत हिलोडी व अन्य।

(2) आरआरटी 2019 (2) पेज सं. 1555 रामस्वरूप बनाम कन्हैया।

(3) आरआरडी 2012 पेज सं. 742 घीसाराम व अन्य बनाम राजस्व मंडल व अन्य।

(4) आरआरडी 2013 पेज सं. 788 श्रीमती रूपकंवर बनाम सोहनसिंह व अन्य।

(5) आरआरटी 2019 (1) पेज सं. 648 पेमादेवी बनाम जालूराम व अन्य।

(6) आरआरटी 2018-19 (सप्ली) पेज सं. 581 शारदादेवी बनाम अमीना व अन्य।

(7) आरआरटी 2016-17 (सप्ली) पेज सं. 158 रामजीलाल व अन्य बनाम रामजीलाल व अन्य।

[5]—राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील खातेदार रामदेव फौत होने पर उसके कानूनी वारिसान के नाम भरा गया है। जो विधिवत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[6]—उभय पक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

[6](I)—प्रकरण में नामान्तरकरण सं. 5500 वाके कुचेरा में स्थित भूमि खसरा नं. 2466, 2468, 2469, 2470 कुल रकबा 5.15 बीघा के कॉलम सं. 7 में दर्ज व नामान्तरकरण सं. 5501 ग्राम कुचेरा के खसरा नं. 2465

रकबा 0.15 बीघा भूमि हेतु कॉलम सं. 7 में दर्ज रामदेव पुत्र पूनाराम फौत होने से उसके वारिसान के नाम दिनांक 24.05.16 को स्वीकृत किये गये हैं, जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

{6}(II)—प्रकरण में अपीलांत द्वारा मुख्य रूप से यह उजर लिया गया है कि आराजी भूमि मालियान न्याति की क्रयसुदा भूमि रही है तथा इसमें दर्ज खातेदारान बदरीराम, पेमाराम आदि मालियान न्याति के पंच रहे हैं। जो जरिये समाज माली न्याति रहे हैं। परिपत्र दिनांक 09.06.2009 विधि के सुस्थापित प्रावधानों एवं नियमों की सही ढंग से क्रियान्विति किये जाने के संबंध में अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को मार्गदर्शक निर्देश है, जिसके अनुसार किसी संस्था के मामले में भूमि का मूल खातेदार संस्था ही मानी जायेगी। संस्था के निदेशक/अध्यक्ष/पंच आदि हैसियत के व्यक्तियों की भूमि नहीं मानी जा सकती है तथा ऐसे व्यक्तियों के नाम नामान्तरकरण में भी शामिल नहीं करने चाहिये।

{6}(III)—इस संबंध में रेस्पोंडेंट का कथन रहा है कि मालियान न्याति नाम की कोई संस्था अस्तित्व में ही नहीं रही है तो ऐसी संस्था थी नहीं तो यहां यह प्रश्न नहीं उठता है कि रिकार्डेड खातेदार की मृत्यु होने पर स्वतः ही उसके वारिसान के नाम ही नामान्तरकरण की कार्यवाही क्यों न हो?

उक्तानुसार प्रश्नगत की गई तथ्यात्मक स्थिति के संबंध में यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि पंच रामचन्द्र फौत होने पर उसके वारिसान के रूप में नामान्तरकरण जैर अपील के दौरान रेस्पोंडेंट्स के नाम दर्ज किये गये हैं। प्रस्तुत नामान्तरकरण सं. 5500 के कॉलम सं. 7 में रामचन्द्र पुत्र लालूराम, रामदेव पुत्र खुमाराम फूला बेवा टोवाराम बदरीराम पेमाराम नेनाराम मेवाराम पदमाराम सेवाराम व बाबूलाल पुत्र रिजूराम इन्द्राराम पुत्र हीराराम रामदेव पुत्र पूनाराम चूनाराम पुत्र गणेशराम रामलाल पुत्र मूलाराम गोरधन पुत्र पांचाराम मोवना पुत्र छोटू रामदेव पुत्र जगजी के साथ में "माली पंचान व मुख्यान संस्थान न्याति मालियान सा. देह खातेदार" व 5501 के कॉलम सं. 7 में बदरीराम पेमाराम नेनाराम मेवाराम पदमाराम पिता टोवाराम बाबूलाल पुत्र रिजूराम फूला बेवा टोवाराम रामदेव पुत्र पूनाराम गोरधन पुत्र पांचाराम रामदेव पुत्र जगराम के साथ में "मालियान न्याति सा. देह खातेदार अंकित है।" सामान्यतः किन्हीं व्यक्तियों द्वारा निजी हैसियत से खरीद की गई भूमि के संबंध में पंचान व मुख्यान का अंकन नहीं होता है। बेचान दिनांक 02.03.60 के प्रथम पृष्ठ में "हक खातेदारी बेचान का दस्तावेज 1 हम मुस्मीयान बालूराम..... बहक मुस्मीयान रामचन्द्र..... अकवाम मालियान पंचान व मुख्यान संस्थान न्यात मालियान मौजा कुचेरा तहसील नागौर के लिख देते हैं, की इबारत अंकित है। इसी प्रकार पृष्ठ सं. 2 की द्वितीय लाईन में "कब्जा उक्त नंबरान पर न्यात की तरफ से न्यात मालियान कुचेरा का करा दिया है। सो अब उक्त खसरान नंबर के मालिक न्यात है।" अंकित है तथा बेचान पत्र दिनांक 5.10.84 के अनुसार खसरा नं. 2465 के बेचाननाम दस्तावेज में प्रथम पेज की लाईन नं. 17-18 में अंकन इस प्रकार है..... "यह जमीन मालियान के न्यात को विक्रय कर दिया है " एवं इसी बेचान पत्र के पृष्ठ सं. 2 की लाईन सं. 10 के आगे पडोस का विवरण अंकित किया हुआ है। जिसमें उत्तर, पूर्व व पश्चिम की तरफ न्यात की जमीन का पडोस दर्ज किया हुआ है तथा पेज सं. 2 लाईन सं. 18-19 में यह अंकन "इच्छा अनुसार न्यात के काम में ले सकोगे" इन विक्रय पत्रों में वर्णित उपर्युक्त अंकनों के अनुसार हस्तगत अपील में प्रश्नगत आराजी भूमि न्यात मालियान कुचेरा की होना प्रतीत होती है तथा तत्समय रिकार्ड में पंच/प्रतिनिधि होना स्पष्ट करता है कि प्रकरण में मुख्य क्रेता न्यात मालियान कुचेरा ही रही है। ऐसी स्थिति में मृतक रामचन्द्र के वारिसान के नाम नामान्तरकरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{6}(III)—उपर्युक्तानुसार किये गये विवेचन के अनुसार विक्रय पत्र दिनांक 02.03.1960 एवं 05.10.1984 में भूमि की क्रेता न्यात मालियान कुचेरा है और न्यात मालियान कुचेरा की ओर से पंच/प्रतिनिधि की हैसियत से लिखे व्यक्तियों के नाम इस भूमि के वास्तविक क्रेता नहीं हैं। अपील में प्रश्नगत भूमि के वास्तविक क्रेता न्यात मालियान कुचेरा है। कब्जा इन व्यक्ति (पंचान) ने न्यात मालियान की ओर से प्राप्त किया। भूमि का क्रय प्रतिफल न्यात मालियान द्वारा दिया जाना विक्रय पत्रों से प्रकट है। अतः एव नियम 131 के अनुसार व परिपत्र दिनांक 9.6.2009 के अनुसार विक्रय संविदा से जमाबंदी में मौजूदा खातेदारों के स्थान पर खातेदारी का इन्द्राज न्यात मालियान कुचेरा की बजाय पंचगण के नाम किये जाने एवं रामचन्द्र बतौर पंच फौत होने पर उसके वारिसान के हक में स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण सं. 5500 तथा 5501 विधि एवं नियमों के सुस्थापित प्रावधानों से असंगत है।

{6}(IV)—जहां तक संस्था अस्तित्व में थी अथवा नहीं, यह बिन्दु यहां निर्धारित नहीं किया जा सकता है तथा पक्षकारों के मध्य नियमित न्यायालय में वाद भी विचाराधीन है। जहां अधिकार तय होने हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है तथा नियमित दावा विचाराधीन रहते हुए इस अपीलीय कार्यवाही को स्थगित किये जाने को लेकर कोई ठोस आधार नहीं है। इस प्रकार आदेश जैर में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{7}— उपर्युक्तानुसार किये गये विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 5500 तथा 5501 वाके कुचेरा में पारित आदेश दिनांक 24.05.2016 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मुण्डवा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार किये गये विवेचन एवं हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के संबंध में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 02.03.60 एवं 05.10.84 एवं न्यायालय हाजा के अपील सं. 60/2019 में पारित निर्णय के अनुसरण में नामान्तरकरण सं. 1783 के संबंध में पारित निर्णय के प्रकाश में नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का परीक्षण कर भूमि के वास्तविक क्रेता के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

{8}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मनोज कुमार)
अपर क्लर्क, नागौर